रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 584] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1971/अग्रहायण 8, 1893

No. 584] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1971/AGRAHAYANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separte paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November 1971

S.O. 5252.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Ninth Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, for the existing entries under the heading "Department of Communications", the following entries shall be substituted, namely:—

"*Posts and Telegraphs Department*.—Secretary, Posts and Telegraphs Board; Deputy Director General, Director, Assistant Director General, Chief Engineer, Deputy Chief Engineer, Assistant Chief Engineer, Secretary, Posts and Telegraphs Services Selection Board or Controller in the Posts and Telegraphs Directorate".

[No. F. 3/13/70-Public.I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह-मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

का० आ० 5252. —राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखित) नवम संशोधन नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 की अनुसूची में, "संचार विभाग" शीर्षक के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

"डाक-तार विभाग—सचिव, डाक-तार बोर्ड; डाक-तार निदेशालय में उपमहानिदेशक, निदेशक, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर, उप मुख्य इंजीनियर, सहायक मुख्य इंजीनियर, सचिव, डाक-तार सेवा प्रवरण बोर्ड या नियंत्रक" ।

[सं० फा० 3/13/70-पब०-1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971